बिहार सरकार
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग।

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन Kushal Yuva Programme कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के पंजीकरण की प्रकिया जुलाई–2016 में प्रारम्भ की गई, जिसके आधार पर प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी सिन्हा कम्प्यूटर एजुकेशन के द्वारा किशनगंज जिला में संचालित किये जाने हेतु केन्द्र का पंजीकरण किया गया। पंजीकरण के आधार पर इस केन्द्र को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अनुमोदित किया गया तथा KYP Code-KYP07030021 आवंटित किया गया।

कालान्तर में मो0 नजमूल हक, पिता–मो0 अबदूर रहमान, जिला–किशनगंज के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन को एक आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि श्री चंदन कुमार सिंह, निदेशक सिन्हा कम्प्यूटर एजुकेशन द्वारा KYP केन्द्र के सफलतापूर्वक संचालन हेतु उनके साथ 35,000/–(पैंतीस हजार रूपया) प्रति माह के हिसाब से द्वितीय पक्ष को देना होगा, के आधार पर समझौता किया गया है। सेन्टर का सारा खर्च द्वितीय पक्ष स्वंय करेंगे जैसे–बिजली,स्टॉफ, पानी, टेलीफोन इत्यादि। हस्ताक्षरित एकरारनामा की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की गयी है।

मो0 नजमूल हक से प्राप्त आवेदन के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा श्री चंदन कुमार सिंह, निदेशक, सिन्हा कम्प्यूटर एजुकेशन से स्पष्टीकरण की माँग की गई। अपने स्पष्टीकरण में सिन्हा कम्प्यूटर एजुकेशन के द्वारा उल्लेख किया गया है कि केन्द्र संचालन हेतु उनके द्वारा मो0 नजमूल हक के साथ कोई समझौता पत्र नहीं बनाया गया है, वे मेरे केन्द्र पर केवल L.F के पद पर कार्यरत थे। यह उल्लेख किया है कि मो0 नजमूल हक के द्वारा जो दावा किया गया है वो सरासर गलत है एवं बेबुनियाद है। केन्द्र संचालन में सारी व्यवस्था मेरे द्वारा की गयी है।

बिहार कौशल विकास मिशन के निर्देश के आलोक में श्रम अधीक्षक, किशनगंज एवं जिला कौशल प्रबंधक, किशनगंज द्वारा संयुक्त रूप से मामले की जाँच कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति निम्नवत् है:–

> वार्ता के दौरान यह स्पष्ट रूप से विदित हुआ कि मो0 नजमूल हक के पास पहले से ही केन्द्र
> संचालन का सारा Equipments मौजूद था जो श्री सिंह और नजमूल हक के आपसी सहमति से
> मो0 नजमूल हक द्वारा KYP केन्द्र में लगाया गया। श्री सिंह एवं मो0 नजमूल हक के द्वारा
> 11(ग्यारह) माह के लिये किये गये एकरारनामें में यह पाया गया कि मूल एकरारनामा में दिनांक
> एवं माह अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है की दोनों में आपसी सहमति में केन्द्र चलाने एवं
> उसका सारा खर्च मो0 नजमूल हक को दिया गया। बताया गया की श्री सिंह को मात्र
> रू0–35,000/– (पैंतीस हजार) की राशि रख कर कुल राशि मुझे (मो0 नजमूल हक) को देनी
> है, जो कि एकरारनामा में अंकित किया गया है। मो0 नजमूल हक के द्वारा दी गई राशि का
> ब्योरा जो कि दिनांक–01.04.2019 से लेकर दिनांक–03.01.2021 तक थी इससे स्पष्ट होता है
> कि श्री सिंह के द्वारा विगत उस महीने में मो0 नजमूल हक को पूर्ण रूप से राशि दी गई थी
> तथा श्री सिंह के द्वारा दिये गए बैंक ब्योरा से यह प्रतीत होता है कि श्री सिंह के द्वारा
> अलग–अलग तिथि में राशि मो0 नजमूल हक को दिया गया हैं। श्री सिंह के द्वारा बिहार
> कौशल विकास मिशन को पत्र के माध्यम से KYP केन्द्र सिन्हा कम्प्यूटर सेन्टर को मो0 नजमूल
> हक के द्वारा संचालित करने का स्पस्टीकरण अनुपालन रिपोर्ट समर्पित किया गया था, जिसमें
> श्री सिंह के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि श्री सिंह के चाचा को पिछले 2 वर्षों से कैंसर से
> पिड़ित होने के कारण श्री सिंह ने अपना केन्द्र मो0 नजमूल हक को संचालन एवं देख रेख में

20.09.22

1729

दिया था। इस प्रकार दोनों के पास मौजूद एकरारनामा बी0एस0डी0एम0 से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुपालन के पूर्व का ही है। दोनों पक्षों द्वारा किया गया अंतिम एकरारनामा की तिथि–31.05. 2020 तक की है। श्री सिंह तथा मो0 हक के द्वारा किये गये अंतिम एकरारनामा के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि इस एकरारनामें को सरकारी विभाग से कोई भी मतलब नहीं है तथा यह केवल सामाजिक स्तर पर वैध रहेगा। अतः उक्त परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि KYP केन्द्र KYP07030021 का संचालन दोनों पक्षों के आपसी सहमति से मो0 नजमूल हक के द्वारा संचालित हो रहा था, जो कि बिहार कौशल विकास मिशन के नियमों के विरूद्व है एवं Franchisee Mode में चलाने के आलोक में बी0एस0डी0एम0 द्वारा आगे की कारवाई की जा सकती है।

मो0 नजमूल हक द्वारा समर्पित आवेदन, निदेशक, सिन्हा कम्प्यूटर एजुकेशन से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा विभागीय जॉच प्रतिवेदन से यह परिलक्षित होता है कि KYP Code- KYP07030021 का संचालन सिन्हा कम्प्यूटर एजुकेशन के द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है। अपितु इसका संचालन मो0 नजमूल हक के द्वारा Franchisee Mode में किया जा रहा है। Franchisee Mode में केन्द्र के संचालन से अनावश्यक रूप से केन्द्र को प्राप्त होने वाले राजस्व का बँटवारा होता है, जिससे केन्द्र में प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सिन्हा कम्प्यूटर एजुकेशन के द्वारा विचौलिया की भूमिका निभाई जा रही है, जो कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिये हानिकारक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में KYP Code- KYP07030021 किशनगंज का स्वामित्व उसके वास्तविक संचालनकर्त्ता मो0 नजमूल हक के नाम पर परिवर्तित किया जाता है। मो0 नजमूल हक को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर पोर्टल पर परिवर्तित किये जाने वाले सूचना यथा– Centre Name, Owner's Name, Pan Detail of Owner, Bank Account of Owner, Email Id & Mobile No. of Owener की विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर तदनुकूल संशोधन/परिवर्तन किया जा सके।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

20.09.22

(रंजिता)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन

ज्ञापांक–BSDM/SDM-48/2019 (खण्ड–क)– 1094 पटना, दिनांक– 20-09-2022

प्रतिलिपि– सिन्हा कम्प्यूटर एजुकेशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. मो0 नजमूल हक, पिता– मो0 अबदूर रहमान, जिला–किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला नियोजन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. मिशन प्रबंधक (वित एवं लेखा)/मिशन प्रबंधक (कार्यकम कियान्वयन)/मिशन प्रबंधक (समन्वय)/SPMU Inchrge, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला कौशल प्रबंधक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.09.22

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन